



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272121
CG-DL-E-28042026-272121

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2032]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948

No. 2032]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

का. आ. 2105(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) छठा, संशोधन आदेश, 2026 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में, -
 - (क) खंड 28 ख के उप-खंड (4) में, "और गाजियाबाद" शब्दों के स्थान पर, "गाजियाबाद और गुवाहाटी" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) खंड 29 ख में, "और मुंबई" शब्दों के स्थान पर, "और मुंबई और गुवाहाटी" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4-29/2025 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सख्यांक का.आ. 1335 (अ) तारीख 9 अप्रैल, 2026 द्वारा उसे अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****ORDER**

New Delhi, the 27th April, 2026

S. O. 2105(E). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Sixth Amendment Order, 2026

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,

- (a) in clause 28 B, in sub-clause (4), for the words “and Ghaziabad”, the words “,Ghaziabad and Guwahati” shall be substituted;
- (b) in clause 29 B, for the words “and Mumbai”, the words “,Mumbai and Guwahati” shall be substituted. —

[F. No. 4-29/2025 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note :- The Principal Order was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. number 758 (E), dated the 25th September, 1985 and was last amended *vide* S.O number 1814 (E), dated the 9th April, 2026.